अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

32/20/राज. कंचन V/s बस्तीमल

तारीख 2020/00032 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर — नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पेशी श्री ... श्री ...

कंचन बनाम बस्तीमल वगैरह

22/9/21 बाजदायरी प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01, 02 को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.09.2021 को बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में प्रार्थीगण की ओर से नियुक्त अभिभाषक श्री उमेश कुमार नें अपीलांट को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आनें की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें इस कारण से प्रार्थी/अपीलांट नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता। जिस कारण से मान्नीय न्यायालय ने उक्त अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दी। प्रार्थी संख्या 04 ने अपने अधिवक्ता से फोन पर प्रकरण में तारीख पेश बाबत् मालूमात की तब वकील साहब ने बताया कि प्रकरण दिनांक 26.11.2019 को ही अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है। जिस पर प्रार्थीगण के मुख्त्यारआम दिनांक 17.1.2020 को अजमेर आये और वकील साहब से सम्पर्क किया तब वकील साहब ने उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दिनांक 17.01.2020 को प्रस्तुत कर दिया जिस पर नकल दिनांक 20.01.2020 को प्राप्त हो गयी तत्पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र बाजदायरी तैयार करवाकर बिना किसी विलम्ब के मान्नीय न्यायालय में पेश की है। अभिभाषक प्रार्थी ने आर.बी.जे. 2020 पेज 133 (हाई कोर्ट), आर.बी.जे. 2018 पेज 42 (सुप्रीम कोर्ट), ए.आई.आर. 1981 पेज 1500(सुप्रीम कोर्ट) के न्यायिक दृष्टांत पेश कर कथन किया न्यायालय को लचीला रूख अपनना चाहिए किसी प्रकार में गुणावगुण का बिन्दु सशक्त हो तो ऐसे मामलों में न्यायालय को उदारता का रूख अपनाते हुए न्यायहित में मियाद को क्षमा दिया जाना चाहिए व वाद कारण विश्लेषण उदारता से किया जाना चाहिए ताकि अपीलार्थी/प्रार्थी को मौलिक न्याय दिया जा सकें जबकि अपीलार्थी/प्रार्थी किसी प्रकार की लापरवाही या निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। "वकील की गलती के कारण प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए।

अभिभाषक प्रार्थी ने आगे कथन किया बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अन्दर मयाद शुमार किया जाकर देरी को क्षमा की जाकर प्रार्थना पत्र की सुनवाई गुणावगुण कर की जावें। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है तथा प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में उल्लेखित कारण संतोषजनक नहीं होने से बाजदायरी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी ने उपरोक्त पैरा में वर्णित कथनों के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावज पेश नहीं किया है और ना ही प्रार्थी ने शपथ पत्र अभिभाषक पेश किया है ऐसी स्थिति में शेष कथन मनगढ़न्त होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारीज योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार है उपरोक्त अपील मयाद बाहर है तथा मयाद प्रार्थना पत्र का जवाब पृथक मय शपथ पत्र किया जा

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

32/2020/ब्राज.प्री.47 कंचन V/s हस्तीमल

तारीख	2020/00032 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री शिवप्रकाश पं./मेंगलाराम पं. श्री N.K. जैन -1, सविता चौधरी -2, 4 व 12,	

लगातार

रहा है। बाजदायरी प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी ने उपरोक्त पैरा में वर्णित कथनो के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावजे पेश नहीं किया है और ना ही प्रार्थी ने शपथ पत्र अभिभाषक पेश किया है ऐसी स्थिति में शेष कथन मनगढ़न्त होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। जहाँ तक प्रार्थी के इस कथन का प्रश्न है कि प्रार्थी संख्या 04 ने अपने अधिवक्ता को फोन पर तारीख पेशी बाबत् मालूमात की तो वकील साहब ने दिनांक 26.11.2019 को अपील खारीज होनो बताया जिसमें प्रार्थी ने अधिवक्ता से किसी दिन, किस तारीख को किसी समय बात की उसका उल्लेख नहीं किया है और ना ही कोई दस्तावेज पेश किया है तथा वर्तमान बाजदायरी प्रार्थना पत्र ने जरिये मुख्त्यारआम पेश किया है जिसमें दर्शायें गये हस्ताक्षर सन्देहास्पद है तथा प्रार्थीया कंचन के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी झूठे कथनो के आधार पर जानकारी होने के बावजूद भी मयाद बाहर बाजदायरी प्रार्थना पत्र जाये है जिससे मियाद किसी भी सूरत में क्षमा नहीं की जा सकती है और बाजदायरी प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि जवाब बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को उचित व सद्भाविक आधार नहीं होने के कारण सव्यय निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2017(1) पेज 711 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र बाजदायरी व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यदि किसी प्रकरण में गुणावगुण का बिन्दु सशक्त हो तो ऐसे मामलों में न्यायालयों को उदारता का रूख अपनाते हुए न्यायहित में मियाद को क्षमा किया जाना चाहिए। मान्नीय उच्चतर न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में यह कथन किया कि "वकील की गलती के कारण मामला खारिज तथा मुवक्किल पीड़ित नही होना चाहिए" एवं प्रकरण तकनीकी बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर, मेरिट पर निस्तारण किये जाना चाहिए। हम उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को 1000/–(एक हजार रूपये) कोस्ट पर क्षमा किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट 1000/–रूपये कोस्ट राजस्व बार संघ में जमा कराके रसीद पेश करें।

अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को 1000/–(एक हजार रूपये) कोस्ट पर क्षमा किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.11.2019 को निरस्त किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।